.25

अप्रार्थीगण को भोग उपभोग के पूर्ण अधिकार है। उभय पक्ष ने यह भी स्वीकार किया है कि मौके पर पक्षकारान ने बंटवारा कर रखा है तथा काबिज है। अप्रार्थीगण अपनी खातेदारी सुदा हक हिस्से की भूमि का अपनी सुविधा से हस्तान्तरण करते है तो इससे प्रार्थी को किसी प्रकार की हानि होने की संभावना प्रतीत नहीं होती है। मात्र संयुक्त खातेदारी की आड़ में प्रार्थी अपने सह खातेदारान अप्रार्थीगण को उनकी हक हिस्से की भूमि के भोग उपभोग से वंचित नहीं कर सकता। उपर्युक्त विवेचन अनुसार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष मे प्रतीत नहीं होती है। अतः प्रार्थी का प्रा० पत्र 212 RTAct अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। दिनांक 21.1.25 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा अपास्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला – नागौर